निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 श्रावण 1948 (श0)

(सं0 पटना 873) पटना, वृहस्पतिवार, 23 जुलाई 2026

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

22 जुलाई, 2026

सं० वि०स०वि०-22/2026-3371/वि०स०।— ''**बिहार कारा एवं सुधारात्मक सेवा विधेयक, 2026**'', जो बिहार विधान सभा में दिनांक–22 जुलाई, 2026 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

आदेश से,

पूनम सिन्हा,

प्रभारी सचिव ।

बिहार कारा एवं सुधारात्मक सेवा विधेयक, 2026
[वि०स०वि०-27/2026]

यह विधेयक बिहार राज्य में बंदियों की सुरक्षित अभिरक्षा, संशुद्धि, सुधार और कानून का पालन करने वाले नागरिकों के रूप में पुनर्वास के लिए और काराओं और सुधार सेवाओं के प्रबंधन के लिए तथा इससे संबंधित या इसके आनुषंगिक मामलों के लिए प्रावधान करना है।

प्रस्तावना ।–जबकि, बिहार राज्य में काराओं से संबंधित कानून में संशोधन करने और बंदियों की सुरक्षित अभिरक्षा, संशुद्धि, सुधार और कानून का पालन करनेवाले नागरिकों के रूप में पुनर्वास के लिए और काराओं और सुधार सेवाओं के प्रबंधन के लिए तथा इससे संबंधित या इसके आनुषंगिक मामलों के लिए अधिनियम एतद्द्वारा भारत गणराज्य के 77वें वर्ष में यह निम्न रूप में अधिनियमित हो –

अध्याय 1
प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ**
   (1) इस अधिनियम को बिहार कारा एवं सुधारात्मक सेवा अधिनियम, 2026 कहा जा सकेगा।
   (2) यह सम्पूर्ण बिहार राज्य में लागू होगा।
   (3) यह अधिनियम ऐसी तिथि से लागू होगा जिसे सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे तथा इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के लिए अलग–अलग तिथियां नियत की जा सकेंगी, और ऐसे किसी प्रावधान में इस अधिनियम के प्रारंभ होने के संदर्भ को उस प्रावधान के लागू होने के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा।

2. **परिभाषाएँ**– इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :
   1) पश्चात्वर्ती सेवा से अभिप्रेत है मुक्त बंदी के पुनर्वास के उद्देश्य से दी जाने वाली सेवा या गतिविधि, ताकि वह एक कर्तव्यनिष्ठ नागरिक के रूप में जीवन व्यतीत कर सके।
   2) दीवानी बंदी से अभिप्रेत है कोई भी बंदी जिसे किसी आपराधिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले न्यायालय या प्राधिकरण के रिट, वारंट या आदेश के तहत या कोर्ट मार्शल के आदेश द्वारा अभिरक्षा में नहीं लिया गया है और जो निरूद्ध नहीं है।
   3) सिद्धदोष बंदी से अभिप्रेत है आपराधिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले न्यायालय या कोर्ट मार्शल द्वारा सजा के अधीन कोई भी बंदी।
   4) सुधारात्मक सेवा से अभिप्रेत है किसी बंदी के सुधार और पुनर्वास के उद्देश्य से दी जाने वाली कोई भी सेवा या कार्यक्रम और इसमें बंदी के आकलन, पर्यवेक्षण, उपचार, प्रशिक्षण, नियंत्रण, अभिरक्षा से संबंधित सेवाएं शामिल हैं।
   5) न्यायालय में वैसे पदाधिकारी शामिल हैं जो विधिवत् रूप से दीवानी, आपराधिक या राजस्व क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है।
   6) निदेशालय से अभिप्रेत है बिहार राज्य का कारा एवं सुधारात्मक सेवाएँ निदेशालय।
   7) निरूद्ध से अभिप्रेत है कोई भी व्यक्ति जिसे किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश पर निवारक निरोध से संबंधित किसी कानून के तहत कारा में संसीमित किया गया हो।
   8) परिवार से अभिप्रेत है पति/पत्नी, बच्चे, भाई–बहन, माता–पिता, दादा–दादी, नाना–नानी, नाती–पोते और ट्रांसजेंडर बंदियों के संदर्भ में, सामाजिक–धार्मिक पारिवारिक व्यवस्था के माध्यम से संबंधित लोग।
   9) विदेशी बंदी से अभिप्रेत है कोई ऐसा बंदी जो भारत का नागरिक नहीं है।
   10) सरकार से अभिप्रेत बिहार राज्य की सरकार।
   11) आदतन अपराधी से अभिप्रेत है वह बंदी जिसे किसी अपराध के लिए बार–बार कारा भेजा जाता है।
   12) कारा एवं सुधारात्मक सेवाएँ निदेषालय के प्रमुख से अभिप्रेत है सरकार द्वारा कारा एवं सुधारात्मक सेवाएँ निदेषालय का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त पदाधिकारी।
   13) उच्च जोखिम वाले बंदी से अभिप्रेत है हिंसा, पलायन, आत्महानि, अव्यवस्थित व्यवहार, कारा में अशांति पैदा करने और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा पैदा करने की संभावना रखने वाले, जो संगठित अपराध और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल बंदी हैं।

14) उच्च सुरक्षा कारा से अभिप्रेत है स्वतंत्र आत्मनिर्भर कारा परिसर जिसमें गतिशील और सुदृढ़ सुरक्षा प्रणालियाँ हों और एक स्वतंत्र न्यायालय परिसर आदि का प्रावधान हो, ताकि उन सिद्धदोष और विचाराधीन बंदियों को रखा जा सके जिन्हें उच्च सुरक्षा वाले अभिरक्षा क्षेत्र में रखने की आवश्यकता है, जैसे कि आतंकवादी गतिविधियों में शामिल व्यक्ति, गैंगस्टर, खतरनाक बंदी, आदतन अपराधी, पलायन की उच्च प्रवृत्ति वाले बंदी, दंगा करने की क्षमता रखने वाले और अन्य बंदियों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले बंदी आदि।

15) इति वृत्तक से अभिप्रेत है भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में वह वृत्तक, जिसमें किसी बंदी के संबंध में सभी प्रासंगिक जानकारी प्रदर्शित हो।

16) बंदी से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसे विधिक रूप से कारा एवं सुधार गृह में संसीमित रखा गया हो।

17) संस्थान से अभिप्रेत है वह स्थान जहाँ बंदियों को विधिक रूप से संसीमित रखा जाता है।

18) काराओं के संबंध में चिकित्सा पदाधिकारी से अभिप्रेत है योग्यता रखने वाला सरकारी चिकित्सा व्यवसायी जिसे कारा के चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया हो।

19) अधीनस्थ चिकित्सीय कर्मचारी से अभिप्रेत है एक योग्य चिकित्सा सहायक, जैसे फार्मासिस्ट, नर्स, लैब तकनीशियन, परिधापक आदि, जो किसी कारा में कार्यरत हैं।

20) खुला सुधारात्मक संस्था से अभिप्रेत है पात्र बंदियों को ऐसी शर्तों पर रखने का स्थान, जो नियमों के तहत विहित किया जाय, ताकि उन्हें नियमित कारा के बाहर अधिक स्वतंत्रता दी जा सके और कारा मुक्ति के बाद उनके पुनर्वास को सुगम बनाया जा सके।

21) पैरोल से अभिप्रेत है पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के लिए थोड़े समय के लिए किसी सिद्धदोष को अस्थायी रूप से रिहा करना।

22) कारा से अभिप्रेत है सरकार के सामान्य या विशेष आदेशों के अधीन बंदियों को रखने के लिए स्थायी या अस्थायी रूप से उपयोग किए जाने वाले कोई भी स्थान और इसमें उससे जुड़ी सभी भूमि और भवन शामिल हैं, लेकिन इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं –

क) बंदियों को रखने का कोई स्थान जो विशेष रूप से पुलिस की अभिरक्षा में हो,

(ख) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 417 / भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 457 के तहत सरकार द्वारा विशेष रूप से नियत कोई स्थान :

(ग) कोई भी स्थान जिसे सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा सहायक कारा घोषित किया गया हो।

23) कारा पदाधिकारी से अभिप्रेत है वैसे पदाधिकारी जो निदेषालय से संबंधित है और इसमें किसी अन्य सुरक्षा बल या किसी अन्य सेवा के पदाधिकारी शामिल हैं जिन्हें बंदियों की सुरक्षित अभिरक्षा/सुधारात्मक सेवाएं प्रदान करने के लिए कारा प्रशासन की सहायता हेतु कारा में तैनात/प्रतिनियुक्त किया जाता है।

24) कारा कर्मचारी से अभिप्रेत है निदेषालय द्वारा नियुक्त कर्मचारी जो कारा पदाधिकारी के अलावा, इस अधिनियम के प्रशासन से संबंधित शक्तियों का प्रयोग करता है या कर्तव्यों या कार्यों का निर्वहन करता है या जैसा कि सरकार द्वारा समनुदेशित किया जाय।

25) तरूण अपराधियों के लिए संस्थान से अभिप्रेत है तरूण बंदियों के लिए स्थापित एक कारा, जो उनकी देखभाल, कल्याण और पुनर्वास सुनिश्चित करने, उनके सुधार के लिए अनुकूल शिक्षा और प्रशिक्षण का वातावरण प्रदान करने के लिए स्थापित की गई है।

26) बंदी से अभिप्रेत है न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी के आदेश, वारंट या निर्णय के तहत किसी कारा में अभिरक्षा में रखा गया व्यक्ति, और इसमें सिद्धदोष बंदी, दीवानी बंदी, विचाराधीन बंदी, सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के तहत न्यायालय द्वारा कारा अभिरक्षा में रिमांड पर भेजा गया बंदी और निरूद्ध शामिल हैं।

27) निषिद्ध वस्तु से अभिप्रेत है कोई भी ऐसी वस्तु जो बंदियों, कारा कर्मचारियों, कारा संस्था की सुरक्षा या संरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करती हो, या कोई भी ऐसी वस्तु, पदार्थ या सामग्री जिसे कारा एवं सुधार संस्थाओं या सरकार द्वारा किसी बंदी के कब्जे में रखना निषिद्ध हो, जैसे मोबाइल फोन, संचार उपकरण, ड्रग्स और नशीले पदार्थ या कोई भी ऐसी वस्तु जिसका उपयोग हथियार के रूप में या पलायन में सहायता के लिए किया जा सकता हो, जैसे आग्नेयास्त्र या उसका कोई भाग, विस्फोटक, चाकू, तार, औजार, रसायन, रेजर ब्लेड, शराब,

माचिस, लाइटर या कोई भी ऐसी वस्तु जिसका कारा में लाना या ले जाना इस अधिनियम या अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों या किसी अन्य कानून या सरकार की किसी अधिसूचना द्वारा निषिद्ध हो।

28) पुनरावृत्ति अपराधी से अभिप्रेत है कोई ऐसा बंदी जिसे एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दोषी ठहराया गया हो।

29) परिहार से अभिप्रेत है योग्यता रखने वाला सिद्धदोष बंदी को सक्षम प्राधिकार द्वारा दी गई रियायत, जिसमें सजा कम करके कारा से जल्दी मुक्ति की संभावना होती है, जैसा कि नियमों के तहत निर्धारित किया जाय।

30) नियम से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनाया गया नियम।

31) कारा के भार साधक पदाधिकारी से अभिप्रेत है सक्षम प्राधिकार द्वारा कारा के भार साधक के रूप में नियुक्त पदाधिकारी अर्थात् अधीक्षक, उपाधीक्षक आदि।

32) विचाराधीन बंदी से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जो सिद्धदोष नहीं है और जिसे पुलिस द्वारा जांच या सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा विचारण की प्रतीक्षा में न्यायिक अभिरक्षा में रखा गया है।

33) वायरलेस संचार उपकरण से अभिप्रेत है मोबाइल फोन, कंप्यूटर, टैबलेट, लैपटॉप, पामटॉप या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिसका उपयोग किसी सेलुलर या सैटेलाइट नेटवर्क या सक्षम प्राधिकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य उपकरण का उपयोग करके अनधिकृत संचार के लिए किया जाता है।

34) तरूण अपराधी से अभिप्रेत है वह बंदी जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है और 21 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है।

अध्याय II

काराओं और सुधारात्मक संस्थाओं के कार्य

3. **काराओं और सुधारात्मक संस्थाओं के कार्य** – काराओं के कार्य निम्नलिखित होंगेः

(1) किसी न्यायालय या किसी अन्य सक्षम प्राधिकार के किसी रिट, वारंट या आदेश के तहत इसे सौंपे गए बंदी को सुरक्षित अभिरक्षा में रखना :

(2) बंदियों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए उपयुक्त उपाय करना

(3) बंदियों को भोजन, वस्त्र, आवासन, अन्य आवश्यक वस्तुएँ और चिकित्सीय उपचार प्रदान करना

(4) बंदियों को कानून का पालन करने वाले नागरिकों के रूप में समाज में पुनर्वासित करने के उद्देश्य से सुधारात्मक उपचार प्रदान करना

(5) इस अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार कारा में अनुशासन बनाए रखना।

अध्याय III

कारा आवासन

4. **बंदियों के लिए आवासन ।**– सरकार राज्य में बंदियों को संसीमित रखने के लिए पर्याप्त संख्या में कारा एवं सुधारात्मक संस्थाएँ उपलब्ध कराएगी, जिनका निर्माण और रख–रखाव इस प्रकार किया जाएगा ताकि इस अधिनियम की आवश्यकताओं का अनुपालन हो सके।

5. **कारा की संरचना और संस्थागत स्वरूप ।**–

(1) किसी कारा, भू क्षेत्र, वायु क्षेत्र, कक्षों का सवातन, बैरकों, स्नानघरों, रसोई, कार्यशालाओं, अस्पतालों आदि के निर्माण का पैटर्न नियमों के तहत निर्धारित मानकों और आवश्यकताओं के अनुरूप होगा।

(2) प्रत्येक कारा के लिए सुरक्षा मानक ऐसे होंगे जो नियमों के तहत विहित किए जा सकेंगे।

(3) काराओं को इस प्रकार से डिज़ाइन किया जा सकेगा जिससे विभिन्न श्रेणियों के बंदियों को अलग–अलग रखा जा सके और/या बंदियों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया

जा सके, जैसे कि महिलाएं/ट्रांसजेंडर/दिव्यांग व्यक्ति/संक्रामक रोग या मानसिक बीमारी या मादक द्रव्यों के सेवन से पीड़ित व्यक्ति/वृद्ध और दुर्बल बंदी, विचाराधीन बंदी, सिद्धदोष बंदी, उच्च सुरक्षा बंदी, आदतन अपराध करने वाले बंदी, तरूण अपराधी, दीवानी बंदी, निरूद्ध आदि, जैसा कि नियमों के तहत निर्धारित किया जा सकेगा।

(4) काराओं और सुधारात्मक संस्थाओं की स्थापना में कार्यात्मक आवश्यकता के अनुसार कारा पदाधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के लिए आवास और अन्य सुविधाएं शामिल हो सकेगी।

(5) जहां कहीं भी राज्य में स्वतंत्र उच्च सुरक्षा कारा की व्यवस्था नहीं है, वहां उच्च जोखिम वाले अपराधियों और आदतन अपराधियों को अलग करके कारा की अलग बैरकों या कक्षों में रखा जाएगा, जिनमें उन्हें अन्य बंदियों, तरूण अपराधियों, पहली बार अपराध करने वालों आदि के साथ मिलने–जुलने से रोकने की व्यवस्था होगी।

(6) उपधारा (5) में निर्दिष्ट ऐसे पृथक आवास में नियमों के अनुसार उपयुक्त उन्नत वास्तुकला, डिजाइन और संस्थागत पैटर्न होगा, ताकि बंदियों को सुरक्षित और संरक्षित अभिरक्षा में रखा जा सके।

6. **काराओं और सुधारात्मक संस्थाओं की श्रेणियाँ** ।–

(1) सरकार विभिन्न श्रेणियों के काराओं और सुधारात्मक संस्थानों की स्थापना कर सकती है, जैसे :

(क) केंद्रीय कारा
(ख) जिला कारा
(ग) उप कारा
(घ) मुक्त सुधारात्मक संस्थाएँ
(ङ) उच्च सुरक्षा वाले कारा
(च) महिला कारा
(छ) तरूण अपराधियों के लिए संस्था
(ज) आवश्यकतानुसार अन्य

(2) सरकार किसी भी श्रेणी के काराओं और सुधारात्मक संस्थाओं की संख्या और उनके स्थापित किए जाने वाले स्थान का निर्धारण कर सकेगी।

(3) प्रत्येक केंद्रीय कारा/जिला कारा में उच्च जोखिम वाले बंदियों/पुनरावर्ती अपराधियों/आदतन अपराधियों के लिए एक अलग वार्ड का प्रावधान होगा, जहाँ उन्हें अन्य बंदियों के साथ घुलने–मिलने की संभावना के बिना अलग से कक्षों में रखा जा सकेगा ताकि अन्य बंदियों को उनके नकारात्मक प्रभाव और कट्टरपंथी विचारधारा से बचाया जा सके।

(4) सभी केंद्रीय/जिला काराओं में उच्च जोखिम वाले बंदी वार्डों के लिए उपयुक्त और उन्नत सुरक्षा अवसंरचना और प्रक्रियाएं मौजूद होगी। इन काराओं में अदालती सुनवाई/मुकदमे चलाने के लिए एक स्वतंत्र न्यायालय परिसर की भी उचित व्यवस्था होगी।

7. **बंदियों के लिए अस्थायी आवासन** ।–सरकार को जब भी यह लगता है कि–

(1) किसी कारा में बंदियों की संख्या उसमें सुविधाजनक या सुरक्षित रूप से रखे जा सकने वाली संख्या से अधिक है, और अतिरिक्त संख्या को किसी अन्य कारा में स्थानांतरित करना सुविधाजनक नहीं है. या

(2) जब भी किसी कारा में किसी बीमारी के प्रकोप के कारण, या किसी अन्य कारण से. बंदियों के लिए अस्थायी आश्रय और सुरक्षित अभिरक्षा प्रदान करना वांछनीय हो, तो सरकार द्वारा निर्देशित तरीके से, उन बंदियों के आश्रय और सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उपयुक्त अस्थायी काराओं की व्यवस्था की जा सकेगी, जिन्हें सुविधापूर्वक या सुरक्षित रूप से कारा में नहीं रखा जा सकेगा।

अध्याय IV
संगठनात्मक संरचना

8. कारा एवं सुधारात्मक सेवा निदेशालय ।–

(1) राज्य में कारा एवं सुधारात्मक सेवाओं का एक निदेशालय गठित किया जाएगा, जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कारा नीतियों को लागू करने के लिए उत्तरदायी होगा और विभिन्न काराओं एवं सुधारात्मक सेवाओं तथा उनसे संबंधित एवं आनुषंगिक मामलों की योजना, संगठन, निर्देशन, समन्वय एवं नियंत्रण करेगा। निदेशालय में समय–समय पर सरकार द्वारा विहित संख्या में पदाधिकारी एवं कर्मचारी होंगे।

(2) बंदियों को रखने की आवश्यकता एवं जरूरत, बंदियों की संख्या तथा कारा पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्यभार के अनुसार संस्थागत ढांचा तय किया जा सकेगा और कार्यबल में कार्यकारी, प्रशासनिक, सुरक्षा कर्मचारी, सुधार पदाधिकारी एवं कर्मचारी, चिकित्सा कर्मी आदि शामिल हो सकेंगे, जैसा कि नियमों के तहत निर्धारित किया जा सकेगा।

9. कारा एवं सुधारात्मक सेवाओं के प्रमुख ।–

(1) कारा एवं सुधारात्मक सेवा प्रशासन के लिए, सरकार, अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अधीन, कारा एवं सुधारात्मक सेवा प्रमुख (सरकार द्वारा उचित समझे जाने वाले उपयुक्त पद पर) की नियुक्ति करेगी।

(2) कारा एवं सुधारात्मक सेवा के प्रमुख इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेंगे तथा काराओं के अन्य पदाधिकारी एवं कर्मचारी कारा एवं सुधारात्मक सेवा के प्रमुख के सामान्य पर्यवेक्षण, नियंत्रण एवं निर्देशन के अधीन कार्य करेंगे।

(3) कारा एवं सुधारात्मक सेवा के प्रमुख ऐसे प्रशासनिक, वित्तीय एवं अनुशासनात्मक अधिकारों का प्रयोग करेंगे जिनका प्रयोग किसी विभागाध्यक्ष द्वारा किया जा सकता है, तथा ऐसे अन्य अधिकार जो सरकार द्वारा समय–समय पर उन्हें विशेष रूप से प्रदत्त किए गए हों, जैसा कि नियमों के अंतर्गत निर्धारित किया जा सकेगा।

10. कारा के अन्य पदाधिकारी –

(1) सरकार, अधिनियम और नियमों के तहत निर्धारित कर्तव्यों के निर्वहन हेतु कारा एवं सुधारात्मक सेवा निदेशालय के प्रमुख की सहायता के लिए जितने आवश्यक हों उतने पदाधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगी।

(2) प्रत्येक कारा के लिए एक प्रभारी पदाधिकारी होगा, जो अधीक्षक, अपर अधीक्षक, उपाधीक्षक या कारा एवं सुधारात्मक सेवाओं का कोई अन्य पदाधिकारी हो सकेगा, जैसा कि नियमों के अनुसार निर्धारित किया गया है।

(3) किसी कारा इकाई का सामान्य प्रशासनिक नियंत्रण और प्रबंधन प्रभारी पदाधिकारी के पास निहित होगा, तथा अन्य पदाधिकारी एवं कर्मचारी उसके निर्देशन में ऐसे कर्तव्यों एवं कार्यों का पालन करेंगे, जैसा कि नियमों के तहत विहित किया जा सकेगा।

11. भर्ती एवं प्रशिक्षण –

(1) योग्यताएं, भर्ती, तथा काराओं के पदाधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण निर्धारित नियमों के अनुसार होंगे।

(2) पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन तथा अन्य लाभ आधुनिक कारा एवं सुधारात्मक व्यवस्था में किए गए कार्य के अनुरूप हो सकेंगे, जैसा कि नियमों के तहत निर्धारित किया जा सकेगा।

(3) कारा में कार्यरत प्रत्येक पदाधिकारी एवं कर्मचारी को बुनियादी प्रशिक्षण एवं आवधिक सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि वे अपने कर्तव्यों का कुशलतापूर्वक एवं पेशेवर ढंग से निर्वाह कर सकें।

अध्याय V
कारा पदाधिकारियों और कर्मचारियों के कर्तव्य

12. प्रभारी पदाधिकारी के कार्य एवं कर्तव्य –

(1) अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, अथवा कारा एवं सुधारात्मक सेवा के प्रमुख के आदेशों एवं निर्देशों के अधीन रहते हुए, कारा का प्रभारी पदाधिकारी, अन्य अधीनस्थ पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहायता एवं सहयोग से, कारा का सभी मामलों में प्रबंधन करेगा, जिसमें बंदियों का प्रवेश, कारा की सुरक्षा, सुधारात्मक कार्यक्रम, कारा के भीतर आगंतुकों को प्रवेश की अनुमति देना, व्यय, अनुशासन, दंड तथा बंदियों का नियंत्रण एवं रिहाई शामिल हैं।

(2) प्रभारी पदाधिकारी अपने अधीन कारा तथा कारा के सभी उपकरणों और मशीनरी आदि के उचित रखरखाव के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) कारा का प्रभारी पदाधिकारी, अधिनियम के अधीन उसे सौंपे गए अथवा नियमों के अधीन विहित ऐसे अनुशासनात्मक अधिकारों का प्रयोग बंदियों के नियमन, कारा में अनुशासन बनाए रखने तथा उच्च सुरक्षा वार्डों सहित कारा के उचित प्रबंधन के लिए करेगा।

(4) प्रभारी पदाधिकारी अपने पास मौजूद सभी दस्तावेजों/अभिलेखों, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में रखे गए अभिलेख भी शामिल हैं, की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए तथा बंदियों से प्राप्त धन एवं अन्य वस्तुओं के लिए उत्तरदायी होगा तथा नियमों के अधीन निर्धारित अन्य कर्तव्यों का पालन एवं कार्यों का निर्वहन करेगा।

13. चिकित्सा पदाधिकारी ।–सरकार द्वारा यथानिर्णीत प्रत्येक कारा के लिए पर्याप्त संख्या में चिकित्सा पदाधिकारी हो सकेंगे। यदि चिकित्सा पदाधिकारी का पद रिक्त हो, तो सरकारी अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी अथवा प्रभारी चिकित्सक, या जिला सिविल अस्पताल के आवासीय चिकित्सा पदाधिकारी, जैसा भी मामला हो, उप–कारा अथवा जिला या केंद्रीय कारा के चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में कार्य कर सकेंगे।

14. अन्य कारा पदाधिकारियों और कर्मचारियों के कर्तव्य ।–अन्य सभी कारा कर्मचारी, नियमों के तहत निर्धारित कारा पदाधिकारियों और कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए सौंपे गए कार्यों और जिम्मेदारियों के आधार पर, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

15. अधीक्षक और चिकित्सा पदाधिकारी की अनुपस्थिति में उनके अधिकारों का प्रयोग ।–

(1) अधीक्षक के पद की अस्थायी रिक्ति की स्थिति में, अधीक्षक के अधिकार और कर्तव्य वरिष्ठ कार्यकारी दंडाधिकारी द्वारा प्रयोग एवं निष्पादित किए जा सकेंगे, जो वरिष्ठ उप समाहर्ता के पद से अन्यून न हो, जिसे जिला दंडाधिकारी द्वारा, कारा एवं सुधारात्मक सेवाओं के प्रमुख की स्वीकृति के अधीन, यथाशीघ्र प्रतिनियुक्त किया गया हो।

(2) चिकित्सा पदाधिकारी की अस्थायी अनुपस्थिति की स्थिति में, चिकित्सा पदाधिकारी के अधिकार एवं कर्तव्य जिले के सिविल सर्जन–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त किसी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा संपन्न किए जाएंगे।

(3) यदि चिकित्सा पदाधिकारी का पद रिक्त है, तो चिकित्सा पदाधिकारी को तुरंत प्रतिनियुक्त करना संबंधित सिविल सर्जन–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी की प्राथमिक जिम्मेदारी होगी।

16. कारा पदाधिकारियों और कर्मचारियों का बंदियों के साथ व्यावसायिक लेन–देन और कारा अनुबंधों में रुचि नहीं रखना ।–कोई भी कारा पदाधिकारी या कर्मचारी किसी बंदी या उसके किसी रिश्तेदार या मित्र के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई व्यापारिक लेन–देन नहीं करेगा, न ही वह किसी कारा संस्था के साथ कोई व्यापारिक लेन–देन करेगा या कारा को राशन अथवा किसी अन्य वस्तु की आपूर्ति के किसी अनुबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई हित रखेगा, और न ही वह ऐसे किसी राशन या वस्तु की बिक्री अथवा खरीद से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लाभ प्राप्त करेगा। वह सेवा के आचरण नियमों का पालन करने के लिए बाध्य होगा, जैसा निर्धारित किया जा सके।

17. कर्मचारी कल्याण ।–कारा एवं सुधारात्मक सेवा के प्रमुख, कारा पदाधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी उपायों के कार्यान्वयन में सरकार को सहायता और सलाह देने के लिए एक कर्मचारी कल्याण विंग की स्थापना कर सकेंगे।

अध्याय VI
कारा प्रशासन में प्रौद्योगिकी का उपयोग

18. कारा प्रशासन में प्रौद्योगिकी का उपयोग ।–

(1) राज्य, काराओं के प्रभावी प्रबंधन एवं अधीक्षण तथा काराओं एवं बंदियों की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए, उपयुक्त प्रौद्योगिकी के एकीकरण और समावेशन को सुनिश्चित करेगा।

(2) राज्य संपूर्ण कारा प्रशासन का कम्प्यूटरीकरण करेगा और डेटाबेस को अंतरसंचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली के साथ एकीकृत करेगा। राज्य सूचनाओं के निर्बाध आदान–प्रदान के लिए उपयुक्त इंटरफेस भी विकसित करेगा और कारा एवं बंदी प्रबंधन प्रणाली को सुगम बनाएगा।

(3) राज्य, काराओं में सेलफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग का पता लगाने और उसे प्रतिबंधित करने के लिए तथा बंदियों द्वारा इसके उपयोग को रोकने के लिए, नवीनतम तकनीकी हस्तक्षेपों का उपयोग कर सकेगा।

(4) राज्य बंदियों पर अस्थायी रिहाई/कारा अवकाश के दौरान इलेक्ट्रॉनिक निगरानी तकनीक का उपयोग कर सकेगा, जिसके लिए बंदी ट्रैकिंग उपकरणों का उपयोग किया जा सकेगा।

अध्याय VII
बंदियों का प्रवेश, स्थानांतरण और रिहाई

19. बंदियों का प्रवेश।–

(1) कारा का प्रभारी पदाधिकारी, किसी न्यायालय या किसी सक्षम प्राधिकार द्वारा, इस अधिनियम के तहत या अन्यथा, विधिवत रूप से अपनी अभिरक्षा में सौंपे गए व्यक्ति को, उस रिट, वारंट या आदेश की अपेक्षा के अनुसार जिसके द्वारा ऐसे व्यक्ति को कारा में भेजा गया है, तब तक अपने पास रखेगा जब तक कि विधि की सम्यक प्रक्रिया के अंतर्गत उसे रिहा या स्थानांतरित न किया जाए।

(2) कारा का प्रभारी पदाधिकारी अथवा उसके द्वारा विधिवत प्राधिकृत कारा पदाधिकारी, ऐसे रिट, वारंट या आदेश के निष्पादन के पश्चात् अथवा उसके द्वारा सौंपे गए व्यक्ति की रिहाई के पश्चात्, उसे उस न्यायालय को वापस करेगा जिसने उसे जारी किया था, साथ ही विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र भी देगा, जिसमें यह दर्शाया गया हो कि उसका निष्पादन किस प्रकार किया गया है अथवा उसके निष्पादन से पूर्व सौंपे गए व्यक्ति को अभिरक्षा से किस कारण रिहा किया गया है।

(3) कारा का प्रभारी पदाधिकारी, किसी न्यायालय या सक्षम प्राधिकार द्वारा, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के प्रावधानों के अधीन पारित या जारी किए गए किसी व्यक्ति के संसीमन के लिए किसी दंडादेश, आदेश या वारंट को प्रभावी करेगा।

(4) जहां किसी कारा के प्रभारी पदाधिकारी को निष्पादन हेतु भेजे गए किसी वारंट या आदेश की वैधता पर संदेह हो, वहां वह पुष्टि के लिए मामले को संबंधित प्राधिकारियों को भेजेगा।

(5) उपधारा (4) के तहत भेजे गए संदर्भ के लंबित रहने तक, बंदी को ऐसे तरीके से और ऐसे प्रतिबंधों या छूटों के साथ अभिरक्षा में रखा जाएगा, जैसा कि वारंट या आदेश में निर्दिष्ट किया जा सके।

(6) किसी भी व्यक्ति को विधिपूर्ण वारंट प्रस्तुत किए बिना अथवा किसी न्यायालय या किसी अन्य सक्षम प्राधिकार द्वारा कारा के प्रभारी पदाधिकारी को संबोधित किसी प्रतिबद्धता आदेश के बिना, संसीमन हेतु कारा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

20. किसी बंदी को दूसरे राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में स्थानांतरित करना ।–

(1) जहाँ कोई व्यक्ति किसी राज्य के कारा में कारावास की सजा या मृत्युदंड की सजा के तहत, अथवा जुर्माने का भुगतान न करने या शांति बनाए रखने अथवा अच्छे व्यवहार के लिए प्रतिभूति न देने के कारण बंद है, वहां बिहार सरकार, किसी अन्य राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकार की आपसी सहमति से, आदेश द्वारा उस बंदी को उस कारा से दूसरे राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के किसी कारा में स्थानांतरित करने का प्रावधान कर सकेगी।

(2) किसी विचाराधीन बंदी का एक राज्य से दूसरे राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में स्थानांतरण विचारण न्यायालय (ट्रायल कोर्ट) की सहमति से किया जा सकेगा।

21. बंदियों के प्रवेश, निकास और पुनः प्रवेश के समय तलाशी और जांच –

(1) जब भी किसी बंदी को कारा में प्रवेश दिया जाता है, तो उसकी तलाशी ली जाएगी और सभी नकदी, आभूषण, हथियार तथा निषिद्ध वस्तुएं या कोई अन्य वस्तु जिसे बंदी अपने पास नहीं रख सकता है, उससे ले ली जाएगी और कारा के प्रभारी पदाधिकारी अथवा उसके द्वारा अधिकृत पदाधिकारी की सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जाएगी। बशर्ते कि महिला बंदी अथवा ट्रांसजेंडर बंदी की तलाशी नियमों के तहत निर्धारित उचित तरीके से की जा सकेगी।

(2) कारा में भर्ती किए गए प्रत्येक बंदी को आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, 2022 और लागू किसी अन्य कानून के उपबंधों के अनुसार शारीरिक और बायोमेट्रिक पहचान माप से गुजरना होगा।

(3) ऐसे प्रत्येक बंदी की जांच उसी दिन या 24 घंटे से अनधिक समय के भीतर चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा की जाएगी, जो बंदी की स्वास्थ्य स्थिति, जिसमें वर्तमान या भूतकाल की कोई भी बीमारी शामिल है, को अभिलेख में दर्ज करेगा।

(4) प्रत्येक बंदी जो कारा से बाहर निकलता है अथवा कारा में फिर से प्रवेश करता है, उसे कारा से बाहर निकलने या कारा में प्रवेश करने पर प्रत्येक बार तलाशी और शारीरिक एवं बायोमेट्रिक पहचान से गुजरना होगा।

22. बंदियों की तलाशी ।–किसी निषिद्ध वस्तु आदि का पता लगाने के लिए किसी भी बंदी की किसी भी समय तलाशी ली जा सकेगी।

23. बंदियों की वस्तुएं ।–किसी बंदी की सभी मूल्यवान वस्तुएं, जिनके संबंध में सक्षम न्यायालय का कोई आदेश नहीं दिया गया है, और जिन्हें नियमों के अनुसार किसी बंदी द्वारा कारा में लाया जा सकता है अथवा बंदी के उपयोग के लिए कारा में भेजा जा सकता है, प्रभारी पदाधिकारी द्वारा अपनी ओर से प्राधिकृत पदाधिकारी की अभिरक्षा में रखी जाएंगी।

24. विदेशी बंदियों का प्रवेश, स्थानांतरण और स्वदेश वापसी ।–किसी विदेशी बंदी के कारा में प्रवेश की सूचना तुरंत कारा एवं सुधारात्मक सेवा के प्रमुख को भेजी जाएगी और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय अथवा केंद्र सरकार द्वारा नियमों के तहत निर्धारित किसी अन्य अभिकरण (एजेंसी) को अग्रसारित की जाएगी।

अध्याय VIII
बंदियों का वर्गीकरण

25. वर्गीकरण एवं सुरक्षा आंकलन समिति की संरचना ।–बंदियों के वर्गीकरण और सुरक्षा मूल्यांकन के लिए एक समिति का गठन किया जा सकेगा, जिसमें कारा एवं सुधारात्मक सेवाओं के पदाधिकारी और अन्य पदाधिकारी शामिल होंगे, जैसा कि नियमों के तहत निर्धारित किया जा सकेगा।

26. वर्गीकरण एवं श्रेणियों के आधार –

(1) वर्गीकरण एवं सुरक्षा मूल्यांकन समिति, नियमों के अनुसार, कारा में संसीमित बंदियों को उनकी आयु, लिंग, सजा की अवधि, सुरक्षा एवं संरक्षा आवश्यकताओं, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं, सुधारात्मक आवश्यकताओं आदि के आधार पर वर्गीकृत कर सकेगी।

(2) बंदियों को निम्नलिखित व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकेगा:

(क) दीवानी बंदी;

(ख) आपराधिक बंदी;

(ग) सिद्धदोष बंदी;

(घ) विचाराधीन बंदी;

(ङ) निरुद्ध बंदी;

(च) आदतन अपराधी;

(छ) पुनरावृत्ति अपराधी।

(3) उपर्युक्त विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत बंदियों को अलग–अलग बैरकों/एन्क्लोजरों/कक्षों में इस दृष्टिकोण से रखा जा सकता है ताकि अन्य बंदियों को आदतन/उच्च जोखिम वाले बंदियों के नकारात्मक प्रभाव और कट्टरपंथी सोच से बचाया जा सके।

(4) बंदियों को लिंग के आधार पर पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर के रूप में भी अलग–अलग रखा जा सकेगा।

(5) उपधारा (2) में वर्गीकृत बंदियों को निम्नलिखित उप–श्रेणियों के अंतर्गत आगे वर्गीकृत किया जा सकेगा और उन्हें अलग–अलग रखा जा सकेगा:

(क) मादक पदार्थों के आदी और शराब अपराधी;

(ख) पहली बार अपराध करने वाले;

(ग) विदेशी बंदी;

(घ) वृद्ध और आशक्त बंदी (65+ वर्ष);

(ङ) संक्रामक/दीर्घकालिक रोगों से पीड़ित बंदी;

(च) मानसिक रोग से पीड़ित बंदी;

(छ) मृत्युदंड प्राप्त बंदी;

(ज) उच्च जोखिम वाले बंदी;

(झ) बच्चों सहित महिला बंदी;

(ञ) तरूण अपराधी।

(6) खतरनाक और उच्च जोखिम वाले बंदियों को विशेष कक्षों अथवा उच्च सुरक्षा वाले काराओं में रखा जाएगा।

(7) प्रभारी पदाधिकारी, इस संबंध में सरकार द्वारा निर्दिष्ट उच्च जोखिम वाले बंदियों का सुरक्षित संसीमन सुनिश्चित करने के लिए विशेष देखभाल और सावधानी बरतेगा।

अध्याय IX

उच्च जोखिम वाले बंदियों और आदतन अपराधियों की आपराधिक गतिविधियों से समाज की सुरक्षा

27. बंदियों की आपराधिक गतिविधियों के विरुद्ध समुचित उपाय करना –

(1) राज्य के कारा एवं सुधारात्मक सेवा निदेशालय और पुलिस विभाग की यह जिम्मेदारी होगी कि वे समाज को उच्च जोखिम वाले बंदियों और आदतन अपराधियों की आपराधिक गतिविधियों से बचाने के लिए सभी समुचित उपाय करें।

(2) बंदी द्वारा किए गए अपराध के विवरण, उपलब्ध पृष्ठभूमि अभिलेख, इतिवृत्तक पत्र आदि के आधार पर, बंदियों को उपयुक्त रूप से वर्गीकृत किया जाएगा, अन्य बंदियों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने की उनकी प्रवृत्ति एवं क्षमता का आकलन किया जाएगा, तथा उन्हें अलग–अलग बैरकों/कक्षों में रखा जाएगा, जैसा उचित हो।

(3) समाज और पीड़ितों की सुरक्षा के उद्देश्य से, उच्च जोखिम वाले बंदियों और आदतन अपराधियों को सामान्य परिस्थितियों में पैरोल अथवा किसी भी प्रकार की कारा अवकाश का अधिकार नहीं होगा।

28. सुरक्षा, खुफिया जानकारी जुटाने, निगरानी और कारा कर्मचारियों के कर्तव्य पर चक्रानुक्रम (रोटेशन) के लिए विशेष प्रावधान –

(1) कारा एवं सुधार संस्थान, संगठित अपराध और कारावास के दौरान जारी आपराधिक गतिविधियों, जिनमें गिरोह की गतिविधियां, गवाहों को डराना–धमकाना आदि शामिल हैं, को रोकने के लिए, ऐसे बंदियों पर विशेष निगरानी और निरीक्षण सुनिश्चित करेंगे।

(2) काराओं में गतिशील सुरक्षा सुनिश्चित करने, बंदियों के भागने, अव्यवस्था और आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए, बंदियों से खुफिया जानकारी जुटाने, बंदियों का सावधानीपूर्वक अवलोकन करने, उनकी निगरानी करने और संबंधित जानकारी का विश्लेषण करने हेतु, कारा एवं सुधारात्मक सेवाओं द्वारा राज्य पुलिस विभाग के खुफिया विंग के समन्वय से उचित प्रावधान किया जा सकेगा।

(3) राज्य, उच्च जोखिम वाले अपराधियों और आदतन अपराधियों की कक्षों और बैरकों में प्रतिबंधित वस्तुओं, सेलफोन आदि की नियमित अंतराल पर तलाशी के लिए सुदृढ़ और प्रभावी उपाय सुनिश्चित करेगा, जिसमें उन्नत जैमिंग समाधान की तैनाती तथा बार–बार औचक तलाशी करना शामिल हो।

(4) ऐसे संवेदनशील बैरकों और कक्षों में तैनात कारा और अन्य सुरक्षा कर्मचारियों को, किसी भी प्रकार की साँठगाँठ को रोकने के लिए, समय–समय पर स्थान परिवर्तन किया जाएगा।

(5) सजा पूरी होने पर आदतन अपराधी/उच्च जोखिम वाले सिद्धदोष बंदी की रिहाई, अथवा जमानत पर विचाराधीन बंदी की रिहाई, अथवा पैरोल पर अस्थायी रूप से रिहा किए गए बंदी आदि की सूचना संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक को दी जाएगी, जो ऐसे बंदियों की गतिविधियों पर नजर रखेगा।

(6) जिला प्रशासन, न्यायिक कार्यवाही के लिए न्यायालय में, चिकित्सा उपचार के लिए अस्पताल में अथवा किसी अन्य स्थान पर बंदी की आवाजाही को, सक्षम प्राधिकार के आदेश, वारंट या निर्देशानुसार, जैसा भी मामला हो, पूरी तरह से सुरक्षित करेगा।

29. बंदियों पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग उपकरणों का उपयोग ।–बंदियों को उनकी गतिविधियों और आवागमन की निगरानी के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग उपकरण पहनने की सहमति की शर्त पर कारा छुट्टी (पैरोल) दी जा सकेगी। किसी भी उल्लंघन के मामले में बंदी की कारा छुट्टी रद्द कर दी जाएगी, साथ ही भविष्य में उसे कोई भी कारा छुट्टी नहीं दी जाएगी, जैसा कि नियमों के तहत निर्धारित किया जा सकेगा।

अध्याय X
महिला बंदियों के लिए कारा व्यवस्था

30. महिला बंदियों के लिए अलग आवास –

(1) सरकार महिला बंदियों को रखने के लिए आवश्यक समझी जाने वाली संख्या में विशेष काराओं की स्थापना कर सकेगी। ऐसे कारा में जहां महिला और पुरुष दोनों बंदी हों, महिला बंदियों को एक अलग भवन अथवा उसी भवन के एक अलग भाग में, अलग प्रवेश द्वार के साथ, इस प्रकार रखा जाएगा कि वे पुरुष बंदियों के संपर्क में न आएं। पुरुष बंदियों के लिए कारा में उपलब्ध सभी बुनियादी सुविधाएं महिला बंदियों को भी प्रदान की जा सकेंगी, साथ ही ऐसी अन्य सुविधाएं भी जो उनकी लिंग–विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करती हों।

(2) महिला बंदियों के लिए कारा अस्पताल/महिला परिसर में एक अलग महिला वार्ड बनाया जा सकेगा।

(3) विशेष महिला कारा और महिला वार्ड/परिसर के मामले में, केवल महिला कारा पदाधिकारियों और कर्मचारियों को ही प्रतिनियुक्त किया जाएगा। पुरुष कारा पदाधिकारियों और सुरक्षा कर्मचारियों को ऐसे कारा या परिसर के बाहर कर्तव्य पर तैनात किया जा सकेगा और उन्हें प्रभारी पदाधिकारी अथवा कर्तव्य पर तैनात पदाधिकारी द्वारा केवल आपातकालीन स्थिति अथवा कारा अपराध की स्थिति में ही अंदर बुलाया जा सकेगा, जैसा कि नियमों के तहत निर्धारित किया जा सकेगा।

(4) महिला बंदियों को सुधारात्मक कार्यक्रमों और गतिविधियों तक पहुंच प्रदान की जा सकेगी, जो उनकी लिंग विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखती हों।

31. गर्भवती महिला बंदी ।–जब कोई महिला बंदी प्रवेश के समय अथवा बाद में गर्भवती पाई जाती है, तो चिकित्सा पदाधिकारी इस तथ्य की सूचना प्रभारी पदाधिकारी को देगा। नियमों के तहत निर्धारित अनुसार, उसके लिए आवश्यक चिकित्सा देखभाल और आहार की व्यवस्था की जाएगी।

32. बच्चों सहित महिला बंदी ।–

(1) महिला बंदी अपने बच्चों को छह वर्ष की आयु तक कारा में अपने साथ रख सकेंगी।

(2) कारा में अपनी मां के साथ रहने वाले बच्चे को स्वास्थ्य देखभाल और ऐसी अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जैसा कि नियमों के तहत निर्धारित किया जा सकेगा।

33. यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच ।–किसी महिला बंदी के यौन उत्पीड़न की कोई भी शिकायत अथवा सूचना पर, कानून के प्रावधानों के अनुसार, बिना किसी विलंब के कार्रवाई की जाएगी।

अध्याय XI
ट्रांसजेंडर बंदी

34. ट्रांसजेंडर बंदियों के लिए कारा व्यवस्था ।–

1) विहत नियमों के अनुसार, ट्रांसजेंडर बंदियों (ट्रांसपुरूष एवं ट्रांसमहिला) दोनो के लिए अलग से कमरे/वार्ड उपलबध कराए जा सकेंगे।
2) ट्रांसजेंडर बंदियों को किसी विशिष्ट स्वास्थ्य देखभाल या मनो–सामाजिक आवश्यकताओं तक पहुंच प्रदान की जा सकेगी।
3) ट्रांसजेंडर बंदी को सुधारात्मक कार्यक्रमों और गतिविधियों तक पहुंच प्रदान की जा सकेगी।

अध्याय XII
बंदियों की अभिरक्षा और सुरक्षा

35. बंदियों की अभिरक्षा और सुरक्षा।–

1) प्रभारी पदाधिकारी कारा बंदियों की सुरक्षित अभिरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपाय करने के लिए उत्तरदायी होगा। ये उपाय निम्नलिखित तक सीमित नहीं होंगे लेकिन इनमें निम्नलिखित शामिल हो सकेंगे–

   काराओं में सुरक्षा के लिए मजबूत दीवारें, भवन के द्वार, अच्छी प्रकाश व्यवस्था, बंदियों की निगरानी के लिए केन्द्रीय बिन्दु, निगरानी मीनारें, बिजली की बाड़, प्रतिबंधित वस्तुओं पर नियंत्रण, खुफिया जानकारी एकत्र करने की प्रणाली, क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन और अन्य उन्नत उपकरण और यंत्र, जिनका उपयोग सुरक्षा के उद्देश्यों के लिए और प्रतिबंधित वस्तुओं तक पहुंच को रोकने आदि के लिए किया जाता है।
2) नियमों के अनुसार निर्धारित विहित प्रक्रिया के अन्तर्गत कारा के प्रमुख, कारा एवं सुधारात्मक सेवाएँ को किसी भी बंदी को एक कारा से राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की किसी भी कारा में स्थानांतरित करने का अधिकार होगा।
3) प्रभारी अधिकारी के अनुरोध पर, स्थानीय पुलिस अधिकारी, बंदी को अदालत ले जाने, अस्पताल ले जाने, पैरोल पर हिरासत में रखने, सक्षम अधिकारियों के आदेशों या न्यायिक आदेशों आदि का पालन कराने और किसी भी ऐसे बंदी की सुरक्षित हिरासत सुनिश्चित करने के लिए, जो विशेष जोखिम पैदा करता है, जिसमें कारा से पलायन, दंगा करना, आगजनी करना या कारा में कानून व्यवस्था और अनुशासन को प्रभावित करने वाले किसी भी हिंसक साधन का सहारा लेना शामिल है, कारा अधिकारियों को आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे।
4) बंदियों पर संयम और बल प्रयोग करने का तरीका नियमों के अनुसार निर्धारित किया जा सकेगा।

36. बंदियों से मुलाकात ।–

1) बंदी अपने आगंतुकों, अर्थात् परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और दोस्तों से कारा पदाधिकारियों की उचित निगरानी में शारीरिक या आभासी माध्यम से संवाद कर सकेंगे। बंदियों से मिलने आने वाले आगंतुकों का सत्यापन/प्रमाणीकरण, बायोमेट्रिक सत्यापन/पहचान के माध्यम से किया जाएगा।
2) बंदी से मिलने आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम, पता, फोटो और बायोमेट्रिक पहचान नियमों के अनुसार अभिलेख में दर्ज की जाएगी।
3) विदेशी बंदी विधिविहित नियमों के अनुसार अपने परिवार के सदस्यों और दूतावास प्रतिनिधियों से संवाद कर सकेंगे।
4) बंदी विधिविहित नियमों के अनुसार अपने कानूनी वकील से संपर्क कर सकेंगे।

37. आगंतुकों और कारा पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की तलाशी।–

1) बंदियों से मिलने आने वाले सभी आगंतुकों की तलाशी विधिविहित नियमों के अनुसार निर्धारित तरीके से की जाएगी।

2) यदि कोई आगंतुक अपनी तलाशी करवाने से इनकार करता है, तो उसे कारा परिसर में प्रवेश से इनकार कर दिया जाएगा और ऐसा निर्णय अभिलेख में दर्ज किया जाएगा।

3) महिला, ट्रांसजेंडर या विकलांग व्यक्तियों के रूप में आने वाले आगंतुकों की तलाशी के लिए विधिविहित उचित प्रावधान किए जा सकेंगे।

4) कारा में प्रत्येक प्रवेश और कारा से प्रत्येक निकास पर सभी कारा अधिकारियों और कर्मचारियों की तलाशी ली जाएगी।

अध्याय XII

काराओं में अनुशासन

38. काराओं में अनुशासन।–

1) प्रभारी पदाधिकारी के पास आवश्यक अधिकार प्राप्त होंगे और वह इस अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार कारा में बंदियों, कारा पदाधिकारियों और कर्मचारियों के बीच अनुशासन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा।

2) काराओं में अनुशासन लागू करने का तरीका ऐसा होगा जैसा नियमों के तहत निर्धारित किया जाएगा।

3) प्रत्येक बंदी का यह कर्तव्य होगा कि वह कारा अधिकारी के आदेशों और निर्देशों का पालन करे तथा इस अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करे तथा नियमों के अंतर्गत निर्धारित अन्य निर्देशों का पालन करे।

39. कारा अपराध।– निम्नलिखित कृत्यों को, जब किसी बंदी द्वारा किया जाता है, कारा अपराध घोषित किया जाता है. अर्थात्

1) इस अधिनियम के तहत या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित कारा के किसी नियम या विनियम का जानबूझकर उल्लंघन करना;

2) किसी पर हमला करना या बल का प्रयोग करना या कारा अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए स्वयं को नुकसान पहुंचाना;

3) अपमानजनक या धमकी भरी भाषा का प्रयोग;

4) अनैतिक या अभद्र या अव्यवस्थित व्यवहार;

5) जानबूझकर स्वयं को श्रम करने में असमर्थ बनाना;

6) यदि बंदी को सश्रम कारा की सजा दी गई हो तो जानबूझकर काम करने से लगातार इनकार करना;

7) सश्रम कारा की सजा पाये किसी भी सिद्धदोष बंदी द्वारा जानबूझकर निष्क्रियता या काम में लापरवाही;

8) सश्रम कारा की सजा पाए किसी भी सिद्धदोष बंदी द्वारा जानबूझकर काम का कुप्रबंधन;

9) कारा की सम्पत्ति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना;

10) भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए इतिवृत्तक टिकटों, अभिलेखों या दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करना या उन्हें विकृत करना;

11) किसी निषिद्ध वस्तु को प्राप्त करना, अपने पास रखना या स्थानांतरित करना;

12) किसी भी कारा अधिकारी के विरुद्ध जानबूझकर झूठा आरोप लगाना;

13) किसी आग लगने की घटना, किसी साजिश या षड्यंत्र, पलायन के प्रयास या पलायन की तैयारी, या किसी बंदी या किसी अन्य व्यक्ति या कारा अधिकारी पर हमले की जानकारी मिलते ही उसकी सूचना न देना या देने से इनकार करना;

14) पलायन या पलायन का प्रयास करना, पलायन की साजिश रचना या पलायन में सहायता करना;

15) वायरलेस संचार उपकरणों और/उनके सहायक घटकों का अनधिकृत उपयोग या रखना;

16) कारा परिसर में अनाधिकृत प्रवेश करना या इधर–उधर घूमना;

17) कारा के बाहर किसी भी व्यक्ति के साथ अनधिकृत संचार;

18) कारा अधिकारी या निदेशालय के कर्मचारी होने का ढोंग करना;
19) कारा में किसी निषिद्ध वस्तु की तस्करी करना या तस्करी करने का प्रयास करना या उसे अपने कब्जे में रखना;
20) साथी बंदी (यों) को कारा अधिकारियों के खिलाफ झूठा बयान देने के लिए धमकाना;
21) सामूहिक भूख हड़ताल या अवज्ञा या अनुशासनहीनता के किसी अन्य कृत्य में भाग लेना या उसे उकसाना;
22) यौन उत्पीड़न या अप्राकृतिक यौनाचार;
23) जुआ आदि जैसी असामाजिक गतिविधियों में भाग लेना या उन्हें आयोजित करना;
24) उपर्युक्त अपराधों में से किसी को करने में सहायता करना या उकसाना।
25) साथी बंदियों को आत्महत्या के लिए उकसाना या डराना या आत्महत्या करने की धमकी देना।

40. कारा अपराधों के लिए दंड।– प्रत्येक कारा अपराध में, प्रभारी अधिकारी, इस अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार जांच करने के बाद उपरोक्त धारा 39 में उल्लिखित कारा अपराधों के संबंध में सिवाय उन मामलों के जो भारतीय दंड संहिता, 1860 (भारतीय न्याय संहिता 2023) या किसी अन्य विशेष एवं और स्थानीय कानूनों के तहत अपराध हैं, निम्नलिखित में से कोई भी दंड लगा सकेगा।

1) औपचारिक चेतावनी, जिसका अर्थ है प्रभारी अधिकारी द्वारा बंदी को व्यक्तिगत रूप से दी गई चेतावनी और जिसे दंड पुस्तिका तथा बंदी के इतिवृत्तक टिकट में दर्ज किया जाता है;
2) कैंटीन सुविधा सहित मनोरंजन सुविधाओं को एक महीने तक बंद रखना।
3) तीन महीने तक अर्जित परिहार की जब्ती।
4) तीन महीने तक की अवधि के लिए परिहार से अपवर्जन।
5) एक वर्ष के लिए पैरोल सुविधा से निष्कासन।
6) एक माह से अधिक की अवधि के लिए सभी आगंतुकों (साक्षात्कार) के दौरे को रोकना (इसमें किसी वकील का दौरा शामिल नहीं है)।
7) एक माह से अनधिक की अवधि के लिए पृथक कारावास।

41. मोबाइल फोन और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं को रखने या उपयोग करने के लिए दंड।–

1) कारा के बंदियों को काराओं के अंदर मोबाईल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरणों को रखने या उपयोग करने से निषिद्ध किया गया है। जो कोई भी, बंदी, आगंतुक या कारा अधिकारी (नियमों में निर्धारित अधिकारियों को छोड़कर), अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करते हुए, ऐसे उपकरणों को अपने पास रखता है या उनका उपयोग करता है, या किसी भी प्रकार से किसी कारा में निषिद्ध वस्तु लाता है, ले जाता है या लाने का प्रयास करता है, या किसी बंदी को निषिद्ध वस्तु की आपूर्ति करता है या आपूर्ति करने का प्रयास करता है, और कारा का प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी जो किसी नियम के विपरीत जानबूझकर ऐसी किसी वस्तु को किसी कारा में लाने या ले जाने, किसी बंदी द्वारा अपने पास रखने या किसी बंदी को आपूर्ति करने की अनुमति देता है. और जो कोई भी ऐसे नियम के विपरीत किसी बंदी से संवाद करता है या संवाद करने का प्रयास करता है, और जो कोई भी इस धारा के तहत दंडनीय किसी अपराध में सहायता करता है, उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषी पाए जाने पर तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के कारा या पच्चीस हजार रुपये से अनधिक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा।
2.) जो कोई भी, बंदी या आगंतुक होते हुए, किसी इलेट्रॉनिक उपकरण या वायरलेस संचार उपकरण या उसके किसी सहायक उपकरण या घटक को अपने कब्जे में रखता हो, या उसका संचालन या उपयोग करता पाया जाए, या यदि ऐसा कोई व्यक्ति उसकी आपूर्त्ति में सहायता, उकसाने या प्रेरित करने में पाया जाता हो, या यदि ऐसा कोई व्यक्ति कारा में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या अन्य, में छेड़छाड़, क्षति या उसे नष्ट करते हुए पाया जाता हो, तो मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषी पाए जाने पर उसे कम से कम दो वर्ष की कारा की सजा दी जाएगी, जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा या पच्चीस हजार रूपये से अधिक का जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, या दोनों सजाएं दी जाएंगी।

3) यदि बंदी पहले से ही किसी सजा को काट रहा है, तो उसे उपरोक्त उपधारा (1) या उपधारा (2) के तहत दी गई सजा उसे उस मौजूदा सजा के बाद काटनी होगी।

4) उपरोक्त उपधारा (1) और (2) में उल्लिखित अपराध, संज्ञेय और गैर–जमानती होंगे।

42. पुनरावृत्त कारा अपराध के लिए कार्यवाही।– यदि कारा परिसर में कोई व्यक्ति कारा अनुशासन के विरूद्व कोई अपराध करता है, जो उसकी बार बार अपराध करने की प्रवृत्ति के कारण या अन्यथा और प्रभारी अधिकारी की राय में इस अधिनियम के तहत उसे दी जाने वाली किसी भी सजा से वह अपराध पर्याप्त रूप से दंडनीय नहीं है, तो प्रभारी अधिकारी ऐसे व्यक्ति/बंदी का मामला क्षेत्राधिकार रखने वाले सक्षम न्यायिक दण्डाधिकारी को परिस्थितियों के विवरण सहित अग्रेषित करेगा, और ऐसा न्यायिक दण्डाधिकारी उस व्यक्ति/बंदी के विरूद्व लगाए गए आरोप की सुनवाई करेगा और दोषी पाए जाने पर उसे तीन वर्ष तक के कारा की सजा सुना सकेगा। यह सजा उस बंदी द्वारा पहले से भुगती जा रही किसी अन्य सजा के अतिरिक्त होगी।

43. कारा अपराधों और शास्तियों का प्रदर्शन।– प्रभारी पदाधिकारी आगंतुकों, बंदियों और कारा कर्मचारियों की जानकारी के लिए, कारा के अंदर और बाहर किसी प्रमुख स्थान पर हिंदी और अंग्रेजी में या स्थानीय भाषा में एक नोटिस लगवा सकेगा जिसमें इस अधिनियम के तहत निषिद्ध कृत्यों और उनके किए जाने पर लगने वाले शास्तियों का उल्लेख हो।

अध्याय XIV
स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं

44. **बंदियों की स्वास्थ्य सेवा।**–सभी बंदियों को विधिविहित नियमों के तहत पर्याप्त, लिंग–संवेदनशील स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं तक पहुँच प्राप्त होगी।

45. **मानसिक स्वास्थ्य**– मनोवैज्ञानिक परीक्षण और उपचार ।–

1) सरकार मानसिक रूप से दिव्यांग बंदियों के निरीक्षण/देखभाल के लिए कुछ काराओं में समर्पित वार्ड स्थापित कर सकेगी।

2) सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 की धारा 103 (अध्याय XIII) में उल्लिखित बोर्ड की पूर्व अनुमति से मानसिक रोग से ग्रस्त किसी भी बंदी को निरोध स्थल से राज्य में स्थित किसी मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में स्थानान्तरित करने का निर्देश दे सकेगी।

3) इस धारा के अधीन किसी बंदी के स्थानांतरण की विधि, तौर–तरीके और प्रक्रिया ऐसी होगी जो नियमों के तहत विहित की जाएगी।

अध्याय XV
बंदियों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम

46. **व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल विकास, शिक्षा और मनोरंजन सुविधाएँ।**–

1) बंदियों को उनकी शैक्षिक योग्यता बढ़ाने के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान किए जा सकेंगे, जिसमें विहित नियमों के तहत कारा में पुस्तकालय सुविधाओं का उपबंध करना शामिल है।

2) कारा सुधार कार्यक्रमों के भाग के रूप में बंदियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान किया जा सकेगा। ये कार्यक्रम विहित नियमों के अनुसार बंदियों के पुनर्वास को सुगम बनाने के लिए विविध प्रकार के हो सकते हैं।

3) नियमावली के अनुसार प्रभारी पदाधिकारी बंदियों के लिए आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और मनोरंजक कार्यक्रम आदि आयोजित कर सकेगा।

4) सरकार एक योजना बना सकेगी जिसे राज्य में बंदियों के कल्याण के लिए बंदी कल्याण कोष कहा जा सकेगा।

47. **कैंटीन और बिक्री केंन्द्रों की स्थापना।**– कारा में बंदियों, कारा कर्मचारियों और आमजन के लिए कारा उत्पादों सहित उत्पादों की बिक्री हेतु कैंटीन और बिक्री केंन्द्र स्थापित किया जा सकेगा जैसा कि नियमावली के तहत विहित किया जा सकेगा।

अध्याय XVI
दण्डादेश योजना

48. **व्यक्तिगत दण्डादेश योजना** ।–

1) प्रभारी पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक बंदी के लिए एक व्यक्तिगत दण्डादेश योजना तैयार किया जा सकेगा, जो बंदी के पुनर्वास और सामाजिक पुनर्एकीकरण में सहायक होगा, जैसा कि नियमों के तहत विहित किया जा सकेगा।
2) व्यक्तिगत दण्डादेश योजनाओं को समय–समय पर अद्यतन किया जा सकेगा और बंदी संचिकाओं में दर्ज किया जा सकेगा।

49. **कार्य योजना एवं मजदूरी**।–

1) प्रत्येक बंदी सहित विचाराधीन बंदी, दीवानी बंदी या साधारण कारा की सजा पाए बंदी को अभिरक्षा में रहते हुए, यदि उपलब्ध हो तो काम का अवसर प्रदान किया जा सकेगा और नियमावली के अन्तर्गत यथाविहित उचित मजदूरी का भुगतान किया जा सकेगा।
2) किसी भी बंदी द्वारा अर्जित और व्यय की गई मजदूरी का रिकॉर्ड, आस्थगित मजदूरी का रिकॉर्ड और उससे संबंधित मामले प्रभारी पदाधिकारी द्वारा रखे जाएँगे।

अध्याय XVII
मुक्त सुधार संस्थाएँ

50. **मुक्त सुधार संस्थाएँ**।–

1) सरकार बंदियों के लिए आवश्यकतानुसार मुक्त सुधार संस्थाओं की स्थापना और अनुरक्षण कर सकेगी।
2) सरकार ऐसे मुक्त सुधार संस्थाओं में ऐसी सुविधाएँ या रियायतें दे सकेगी जो बंदी को समाज में पुनर्वास में सहायता कर सके, जैसा कि नियमों के तहत विहित किया जा सकेगा।
3) मुक्त सुधार संस्थाओं के प्रबंधन के नियमों, जिनमें ऐसे सुधार संस्थाओं में स्थानांतरित किए जा सकने वाले बंदियों की प्रक्रिया और पात्रता, मुक्त सुधार संस्था में स्थानांतरण की किसी भी शर्त्त का उल्लंघन करने वाले बंदियों से निपटना आदि शामिल है, सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएँगे।

अध्याय XVIII
पैरोल, परिहार और समय से पहले रिहाई

51. **पैरोल**–

1) पात्र सिद्धदोष बंदियों को उनके पुनर्वास के उद्देश्य से अच्छे व्यवहार और सुधारात्मक कार्यक्रमों के प्रति जवाबदेही हेतु प्रोत्साहन के रूप में, जैसा कि नियमों के तहत विहित किया जा सकता है, पैरोल प्रदान किया जा सकेगा।
2) पैरोल निम्नलिखित प्रकार हो सकते है, अर्थात्:
   क) नियमित पैरोल
   ख) आपातकालीन पैरोल
3) पात्र सिद्धदोष बंदियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमों में निर्धारित शर्त्तो और उद्देश्यों के लिए नियमित पैरोल दी जा सकेगी। नियमित पैरोल की अवधि एक बार में पंद्रह दिन से अधिक नहीं हो सकेगी और एक वर्ष में दो बार से अधिक नहीं दी जा सकेगी। नियमित पैरोल की अवधि को सजा के भाग के रूप में नहीं गिना जाएगा।
4) सक्षम प्राधिकारी द्वारा पात्र सिद्धदोष बंदियों को दुर्लभ या आपातकालीन परिस्थितियों में, पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए, नियमों के अनुसार निर्धारित अवधि तक 48 घंटा के लिए आपातकालीन पैरोल दी जा सकेगी। इस पैरोल की अवधि को सजा के भाग के रूप में गिना जाएगा।
5) संघ के सशस्त्र बलों से संबंधित किसी भी विधि द्वारा शासित बंदियों के लिए पैरोल प्रदान करना उन विधियों के उपबंधों के अधीन होगा।

6) जन सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा पैरोल उल्लंघन को रोकने के लिए, पैरोल पर छूटे हुए बंदियों को नियमों में निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग डिवाइस पहनने की शर्त्त पर पैरोल दिया जा सकता है, ताकि उनकी गतिविधियों एवं आवागमन पर निगरानी की जा सके। किसी भी उल्लंघन के मामले में बंदी का पैरोल रद्द कर दिया जाएगा, साथ ही भविष्य में उन्हें कोई भी कारा अवकाश नहीं दिया जाएगा, जैसा कि नियमों के अनुसार विहित किया जा सकेगा।

7) यदि पैरोल पर रिहा कोई बंदी नियत तिथि पर आत्मसमर्पण करने में विफल रहता है, तो कारा के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा सूचना दिए जाने पर, पुलिस भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 262 के उपबंधों के तहत बंदी को गिरफ्तार करेगी और कानून के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई करेगी।

52. बंदियों को परिहार ।–

1) सजा काटते समय सिद्धदोष बंदी के समग्र अच्छे व्यवहार और आचरण के अधीन, सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित नियमों के तहत परिहार दिया जा सकेगा।

2) परिहार प्रदान करने की अवधि और मानदंड ऐसे होंगे जैसे नियमों के तहत निर्धारित किए जा सकेंगे।

53. समय पूर्व रिहाई ।– किसी सिद्धदोष बंदी को उसके पुनर्वास एवं समाज में पुनः एकीकरण के उद्देश्य से सक्षम प्राधिकार द्वारा समयपूर्व रिहाई दी जा सकती है। सरकार बिहार सेंटेंस रिमीशन रिव्यू बोर्ड का गठन कर सकती है, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की प्रासंगिक धाराओं के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी की समयपूर्व की रिहाई पर विचार एवं सिफारिश करेगा, जैसा नियमों में निर्धारित हो।

अध्याय XIX
काराओं का निरीक्षण

54. काराओं का निरीक्षण ।–

1) बिहार सरकार पदेन पारदर्शक के रूप में निरीक्षण अधिकारियों की सूची अधिसूचित कर सकेगी।

2) वरीय कारा पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण– प्रमुख, कारा एवं सुधार सेवाएँ, नियमों के अनुसार विहित आवधिक अंतराल पर उपयुक्त स्तर के पदाधिकारी द्वारा कारा का निरीक्षण करा सकेगा, और

3) परदर्शक पर्षद द्वारा किए गए निरीक्षण– परदर्शक पर्षद की अध्यक्षता जिला मुख्यालय में जिला मजिस्ट्रेट/अनुमंडल में अनुमंडल मजिस्ट्रेट कर सकेंगे, जैसा भी मामला हो, और इसमें ऐसे अन्य आधिकारिक और गैर–आधिकारिक सदस्य शामिल हो सकेंगे, जो नियमों के तहत निर्धारित हों।

4) प्रत्येक निरीक्षण के बाद कारा के प्रभारी पदाधिकारी और कारा एवं सुधारात्मक सेवाओं के महानिरीक्षक को एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

अध्याय XX
पश्चात्वर्ती देखभाल एवं पुनर्वास सेवाएँ

55. पश्चात्वर्ती देखभाल और पुनर्वास सेवाएँ।– सरकार कारा से रिहा हुए सभी जरूरतमंद बंदियों को रिहाई के बाद की देखभाल सेवाएं प्रदान करने का प्रयास कर सकेगा ताकि उनका पुनर्वास और समाज में पुनः एकीकरण सुनिश्चित किया जा सके।

अध्याय XXI
प्रकीर्ण

56. विधिक सहायता।– सरकार, 'विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम, 1987' के उपबंधों और राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकार/राज्य कानूनी सेवा प्राधिकार/जिला कानूनी सेवा प्राधिकार द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार अथवा जैसा नियमों में निर्धारित हो, बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता की सुविधा प्रदान कर सकेगी।

57. प्रत्येक जिले के लिए विचाराधीन बंदी समीक्षा समितियों का गठन।—

1) प्रत्येक जिले के लिए एक विचाराधीन बंदी समीक्षा समिति होगी, जिसका नेतृत्व, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश करेगा एवं जिसमें ऐसे अन्य सदस्य होंगे तथा ऐसे कार्यों का निष्पादन करेगा, जैसा कि नियमों के अधीन निर्धारित किया जा सकेगा।

2) समिति समय—समय पर बैठक करेगी और जिले की सभी काराओं में पात्र बंदियों के मामलों की समीक्षा करेगी और उचित सिफारिशें करेगी।

58. किसी बंदी की मृत्यु पर रिपोर्ट।— किसी बंदी की मृत्यु होने पर, चिकित्सा पदाधिकारी नियमों के अनुसार निर्धारित सभी प्रासंगिक विवरण और जानकारियाँ तुरंत दर्ज करेगा और रिपोर्ट को कारा एवं सुधारात्मक सेवाओं के प्रमुख और संबंधित पदाधिकारियों को भेजेगा।

59. शिकायत निवारण तंत्र।— बंदियों और कारा कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए एक उचित तंत्र हो सकेगा, जैसा कि नियमों के तहत विहित हो।

60. बंदियों की सेवाओं का उपयोग।— प्रभारी पदाधिकारी, काराओं के दैनिक प्रशासन और प्रबंधन के लिए विहित नियमों के अनुसार बंदियों की सेवाओं का उपयोग कर सकेगा।

61. हड़ताल और आंदोलन पर प्रतिबंध।— किसी भी बंदी, आगंतुक या कारा में कार्यरत किसी भी व्यक्ति को किसी भी अनुरोध या मांग को पूरा करने के लिए कारा/ परिसर के अंदर हड़ताल करने या कोई आंदोलन शुरू करने या जारी रखने का कोई अधिकार नहीं होगा।

62. आपातकाल ।— प्रभारी पदाधिकारी, नियमों के अनुसार विहित सभी उचित उपाय करेगा ताकि किसी भी आपात स्थिति को रोका और नियंत्रित किया जा सके यथा— आवश्यक उपकरणों की खरीद और आकस्मिक योजना तैयार करना, त्वरित प्रतिक्रिया दल की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 या किसी अन्य प्रासंगिक अधिनियम एवं किसी सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी आदेशों या निर्देशों के अनुरूप कोई अन्य प्रावधान।

63. बंदियों की बाह्य अभिरक्षा, नियंत्रण और रोजगार।— किसी बंदी को जब किसी ऐसे कारा में ले जाया या लाया जा रहा हो, जिसमें उसे कानूनी रूप से परिरूद्ध किया जा सकेगा या किसी न्यायालय में पेशी के लिए या किसी अस्पताल में चिकित्सा उपचार के लिए ले जाया जा रहा हो, या जब वह बाहर काम कर रहा हो या किसी अन्य प्रकार से ऐसे कारा की सीमा से बाहर हो और उस कारा के किसी पदाधिकारी या ऐसे कर्तव्य के लिए तैनात किसी अन्य पदाधिकारी की कानूनी अभिरक्षा या नियंत्रण में हो, तो उसे कारा में माना जाएगा और वह सभी निर्देशों और अनुशासन के अधीन होगा, मानो वह वास्तव में कारा में हो।

64. कारा विकास बोर्ड ।—

1) राज्य बेहतर कारा प्रबंधन, बंदियों के लिए सुधारात्मक और सुधार संबंधी गतिविधियों और कारा कर्मचारियों के कल्याण के लिए कारा के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से एक कारा विकास बोर्ड को स्थापित कर सकेगा।

2) ऐसे बोर्ड की संरचना, उसके उत्तरदायित्व और शासन का तरीका आदि ऐसा होगा जैसा नियमों के तहत विहित किया जा सकेगा।

65. शक्तियों का प्रत्यायोजन।— इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी भी शक्ति का प्रत्यायोजन इन कार्यों का प्रयोग और निष्पादन ऐसे पदाधिकारियों द्वारा किया जा सकेगा जिन्हें सरकार इस संबंध में नामित कर सकती है।

66. लेखा एवं लेखापरीक्षा।— प्रत्येक कारा के लेखा का अनुरक्षण एवं लेखापरीक्षा सरकार द्वारा यथाविहित तरीके से की जाएगी।

67. सद्भावना से की गई कार्रवाई का संरक्षण।— इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों या जारी किए गए आदेशों या निर्देशों के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक किए गए या किए जाने वाले किसी भी कार्य के संबंध में सरकार या सरकार के किसी पदाधिकारी के विरुद्ध कोई मुकदमा, अभियोग या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

68. **नियम बनाने के लिए सरकार की शक्तियाँः।**— सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अनुरूप नियमावली बना सकेगी।

69. **निरसन एवं व्यावृत्ति।–**

(1) बिहार राज्य पर लागू कारा अधिनियम, 1894 (1894 का 9), बंदी अधिनियम, 1900 (1900 का 3) और बंदियों के स्थानांतरण अधिनियम, 1950 (1950) का 29) को इसके द्वारा निरस्त किया जाता है।

2) इस अधिनियम के होते हुए भी, इन अधिनियमों के अंतर्गत बनाए गए और इस अधिनियम के प्रारंभ होने से ठीक पहले लागू सभी नियम, विनियम, आदेश, निर्देश, अधिसूचनाएँ, काराओं से संबंधित, इस अधिनियम के उपबंधों के साथ असंगत या विरोधाभासी होने की स्थिति को छोड़कर, इस अधिनियम के अंतर्गत बनायी गयी नियमावली द्वारा परिवर्तित, संशोधित या निरस्त किए जाने तक लागू रहेंगे।

70. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।–

1) यदि इस अधिनियम के किसी भी उपबंध को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा. इस अधिनियम के उपबंधों के साथ असंगत न होने वाले ऐसे उपबंध कर सकेगी या ऐसे उपाय कर सकेगी जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या उपयुक्त प्रतीत हो।

2) सरकार उपधारा (1) के तहत कोई आदेश जारी कर सकेगी जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तिथि से पहले की किसी तिथि से प्रभावी नहीं होगा।

<u>उद्देश्य एवं हेतु</u>

कारागार अधिनियम, 1894, बंदी अधिनियम, 1900 एवं बंदी अंतरण अधिनियम, 1950 में प्रावधानित नियमों, जो वर्तमान में अनुपयोगी हो चुके हैं, उनमें संशोधन करते हुए गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आदर्श कारा एवं सुधारात्मक अधिनियम, 2023 के प्रारूप का गठन किया गया है तथा राज्य सरकारों से स्थानीय परिस्थितियों एवं आवश्यकता के अनुसार संशोधन कर लागू किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. बिहार राज्य में बंदियों की सुरक्षित अभिरक्षा, सुधार एवं कानून का पालन करने वाले नागरिकों के रूप में पुनर्वास, नई प्रौद्योगिकी का उपयोग और कारा एवं सुधार सेवाओं के प्रबंधन के लिए "बिहार कारा एवं सुधारात्मक सेवा विधेयक, 2026" के प्रावधानों को लागू किया जाना आवश्यक है।

इसके तहत बायोमेट्रिक पहचान, ई–प्रिजन डेटाबेस, ट्रैकिंग उपकरण, महिला, ट्रांसजेंडर एवं उच्च जोखिम वाले बंदियों के लिए विशेष प्रावधान, वीडियो–कॉन्फ्रेंसिंग आधारित कानूनी सहायता तथा मुक्त सुधारात्मक संस्थाएं जैसी व्यवस्थाओं को शामिल कर काराओं में पारदर्शिता एवं अनुशासन लाने हेतु प्रावधान किया गया है।

यही इस विधेयक का उद्देश्य है तथा इसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का मुख्य अभीष्ट है।

(सम्राट चौधरी)
भार–साधक सदस्य ।

पूनम सिन्हा,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान–सभा ।

पटना,
दिनांक–22.07.2026

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 873-571+10-डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in